न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 20/2025

राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी, केकडी।

........प्रार्थी

बनाम

श्री राहुल वैष्णव पुत्र श्री किशोर कुमार वैष्णव

जागू मोहल्ला बान्दनवाडा ग्राम पंचायत बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला केकडी

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.06.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन जिला कलक्टर केकड़ी से मूल पत्रावली प्राप्त हुई। जिसमें जिला रसद अधिकारी केकडी के पत्र दिनांक 17.09.2024 की अनुपालना में दिनांक 25.09.2024 को खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी, केकडी, एवं श्री अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलु एल.पी.जी गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग की जांच करने वास्ते रूपपुरा रोड बान्दनवाडा श्री खेडीया बालाजी फर्नीचर्स के सामने स्थित किशोर कुमार वैष्णव के मकान पर पहुँचे। मौके पर पहुँचते ही एक मारुती वैन का चालक उसे भगा कर ले गया जिसमें मोटर के माध्यम से घरेलु एलपीजी भरी जा रही थी, मौके पर स्थित दुकान पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम राहुल वैष्णव पुत्र श्री किशोर कुमार वैष्णव बताया है, मौके पर दुकान की तलाश लेने पर 05 घरेलु गैस सिलेण्डर बीपीसीएल एवं एक बैट्री चलित (गैस ट्रांसफर की मशीन) मय लोहे के रेग्युलेटर मय गैस पाईप तथा इलेक्ट्रीक वायर पाये गये। मौके पर श्री राहुल वैष्णव ने घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध गैस रिफलिंग का व्यवसायिक उपयोग के विषय में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किये है न ही इस बाबत कोई लाईसेंस/परमिट/दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत किये है। वजन 14.2 किलोग्राम गैस क्षमता के कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस (बीपीसीएल) मार्का एवं बैट्री चलित मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन) मय लोहे के रेग्युलेटर मय गैस पाईप तथा इलेक्ट्रीक वायर जब्त सरकार किया जाकर मौके पर ही मैसर्स नन्दहरी गैस [illegible] बान्दनवाडा के प्रोपराइटर श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री हरीलाल निवासी बान्दनवाडा को बुलवाकर तौल कार्यवाही करवाकर अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिये गये जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	63075–S	BPCL	29.750	15.600	14.150

लोक बंधु
जिला कलक्टर, अजमेर

2	49151– S	BPCL	29.400	15.200	14.200
3	631070	BPCL	21.650	15.700	05.950
4	30794 T	BPCL	30.200	16.100	14.100
5	395855 T	BPCL	29.650	15.500	14.150

इस प्रकार श्री राहुल वैष्णव द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किये जाने के कारण उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 62.550 किलोग्राम एलपीजी एवं एक बैट्री चलित मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन) मय लोहे के रेग्युलेटर मय गैस पाईप तथा इलेक्ट्रीक वायर को जब्त सरकार कर मैससे नन्दहरी गैस एजेन्सी बान्दनवाडा के प्रोपराईटर श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री हरीलाल निवासी बान्दनवाडा को अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया है जिसका फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार कर संलग्न फर्द किया गया है। श्री राहुल वैष्णव जागू मोहल्ला बान्दनवाडा ग्राम पंचायत बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला केकडी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरों का गैस रिफलिंग एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) सी एवं 7 (1) सी का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 62.550 किग्रा एलपीजी, एक बैट्री चलित मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन) मय लोहे के रेग्युलेटर मय गैस पाईप तथा इलेक्ट्रीक वायर को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 25.09.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 62.550 किग्रा एलपीजी, एक बैट्री चलित मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन) मय लोहे के रेग्युलेटर मय गैस पाईप तथा इलेक्ट्रीक वायर पाये गये। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर धारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी. जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी एवं 7(1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 62.550 किग्रा एलपीजी, एक बैट्री चलित मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन) मय लोहे के रेग्युलेटर मय गैस पाईप तथा इलेक्ट्रीक वायर को राजसात फरमावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 25.09.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 62. 550 किग्रा एलपीजी, एक बैट्री चलित मोटर (गैस ट्रांसफर की मशीन) मय लोहे के रेग्युलेटर मय गैस पाईप तथा इलेक्ट्रीक वायर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर